भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2637

(दिनांक 23.03.2023 को उत्तर देने के लिए)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए झूठी खबरों का पता लगाना

2637. डा. एल. हनुमंतय्याः

श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

श्री के. सी. वेणुगोपालः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अधीन तथ्य -जांच इकाइयों (एफसीयू) द्वारा सूचनाओं को हटाने के आलोक में "झूठी खबरों" को परिभाषित किया है;

(ख) क्या सरकार झूठी खबरों को निर्धारित करने के लिए किसी भी प्रकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथ्य जांच का चयन करने के लिए सरकार किन-किन मानदंडों का उपयोग करती है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग) फर्जी खबरों को आमतौर पर ऐसी जानकारी के रूप में समझा जाता है जो झूठी या भ्रामक है और समाचार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। फर्जी खबरों से निपटने के लिए सरकार का सांविधिक और संस्थागत तंत्र हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय के तहत नवंबर, 2019 में एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है, जो केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी

खबरों का दोनों स्वत: या इसके पोर्टल या ई-मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के *माध्यम* से संज्ञान लेती है। यह यूनिट केंद्र सरकार के संबंध में सही और अद्यतन जानकारी के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है। यह यूनिट एक ट्विटर अकाउंट @PIBFactcheck भी चलाती है और नियमित आधार पर फर्जी खबरों के भंडाफोड़ किए गए मामले पोस्ट करती है। एफसीयू फैक्ट मॉडल यानी फाइंड, असेस, क्रिएट तथा टारगेट के तहत काम करती है, और खबरों का दोनों स्वत: और नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से संज्ञान लेती है।

ii) प्रिंट मीडिया के लिए, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने मीडिया द्वारा पालन के लिए "पत्रकारिता आचरण के मानदंड" तैयार किए हैं। ये मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ सटीकता और निष्पक्षता, पूर्व-प्रकाशन सत्यापन, अनुमान के बीच अंतर, अटकलें, टिप्पणी और तथ्य से बचने वाले सनसनीखेज /उत्तेजक शीर्षकों और उनके तहत मुद्रित मामले के औचित्य आदि पर जोर देते हैं।

मानदंडों के उल्लंघन के मामले में, अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, जांच करने के बाद, पीसीआई समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकता है या उसकी निंदा कर सकता है या संपादक या पत्रकारों के आचरण को अस्वीकार कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

iii) टेलीविज़न के लिए, सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें यह भी शामिल है कि कार्यक्रमों में कुछ भी अश्लील मानहानिकारक, जानबूझकर, गलत और विचारोत्तेजक आक्षेप और अर्ध सत्य नहीं होना चाहिए;

iv) डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए, सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल समाचार प्रकाशक द्वारा पालन के लिए आचार संहिता का प्रावधान है।

सरकार और प्रेस परिषद द्वारा संहिता आदि के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाती है।

*****